राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण झुंझुनूं

क्रमांकः– एफ 1(2) सहा./COVID - 19/2020/2166 दिनांकः– 15/04/2020

–: आदेश :–

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह (ग्रुप–9) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 33(2)गृह/ग्रुप–9/2019 दिनांक 09.04.2020 के अनुसरण में वर्तमान में कोविड–19 कोरोना वायरस के विश्वव्यापी संक्रमण को देखते हुए इसकी रोकथाम एवं जन–हानि रोकने के लिए निम्नांकित शर्तो के अधीन ईंट भट्टों के संचालन की अनुमति प्रदान की जाती हैः–

1. श्रमिकों को अनिवार्य रूप से ऐसे भट्टों के क्षेत्र के भीतर रहना होगा और ईंट भट्टा परिसर के बाहर इन श्रमिकों को आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. सम्पूर्ण अवधि के दौरान इन ईंट भट्टों पर सामाजिक दूरी (Social Distance) और कम संपर्क (Less Contact) के सिद्धान्त का पालन किया जाएगा।
3. ईंट भट्टों के मालिक द्वारा कोविड–19 के संबंध में समय–समय पर भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई सलाह की पालना करना आवश्यक होगा।
4. इन श्रमिकों की खाद्य सामग्री सहित दैनिक जरूरत की वस्तुओं की व्यवस्था ईंट भट्टों के मालिक द्वारा अपने स्तर पर की जाएगी और ऐसे श्रमिकों को इस उद्देश्य के लिए बाजार या आस–पास के क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. श्रमिकों एवं कर्मचारियों की चिकित्सा जांच आवश्यक रूप से करायी जाएगी।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लघंन किये जाने पर ईंट भट्टे को बन्द कर दिया जायेगा तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

15/4/2020

(उमरदीन खान)
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
झुंझुनू

क्रमांक :– सम/2166 दिनांक :– 15/04/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू।
2. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट ....(समस्त) जिला झुंझुनू।
3. जिला श्रम कल्याण अधिकारी, झुंझुनू।

सचिव
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
एवं अति0 जिला कलक्टर, झुंझुनू

Scanned by CamScanner